न्यायिक प्रतिलिपि 190/22
मुकदमा नम्बर
बनाम

सेशन प्रकरण सीआईएस संख्या 190/2022 (100/2012)
राज.राज्य बनाम मोहनराम आदि

प्रति-हस्ताक्षरित
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश नोखा जिला- बीकानेर।

पीठासीन अधिकारी — **मुकेश कुमार-प्रथम**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण सी.आई.एस.संख्या — 190/2022 (100/2012)

राजस्थान राज्य

बनाम

1. **मोहनराम** पुत्र चेतनराम
2. **रामचन्द्र** पुत्र चेतनराम
3. **अमाराम** पुत्र चेतनराम
4. **सुखराम** पुत्र चेतनराम
5. **सोहनराम** पुत्र चेतनराम
6. **जगदीश** पुत्र रामचन्द्र
7. **कुम्भाराम** पुत्र स्व.भैंराराम
8. **गणपतराम** पुत्र पूर्णाराम
9. **दुलाराम** पुत्र चेतनराम

निवासीगण साधुणा, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अभियुक्तगण-

अपराध अन्तर्गत धारा 120 बी, 148, 365/149, 307, 307/149, 336 विकल्प में 336/149, 326 विकल्प में 326/149, 325 विकल्प में 325/149, 324 विकल्प में 324/149, 323 विकल्प में 323/149, 342 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः

(1) अपर लोक अभियोजक- राज्य की ओर से।
(2) श्री ओमप्रकाश हर्ष- अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
(3) श्री विनायक चितलंगी- अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

2.4.25

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

निर्णय दिनांकः-02.04.2025

संक्षेप में अभियोजन कहानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.03.2012 को परिवादी अजय कुमार (पीडब्ल्यू-6) ने थानाधिकारी, पुलिस थाना, पांचू के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 इस आशय की पेश की कि उनके गांव साधुणा में मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार व गबन की जांच की मांग को लेकर 02.01.2012 को ग्राम साधुणा के ग्रामीणों ने उपखण्ड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जिसमें वह और उसका भाई अशोक सम्मिलित थे। जिस शिकायत से सरपंच पार्टी के लोग उनसे रंजिश रखने लगे और जान से मारने के लिये मौके तलाश करने लगे। दिनांक 29.03.2012 को वह और उसका भाई अशोक, मोहनलाल पुत्र उदाराम, रामकरण पुत्र मेघाराम, रामकरण पुत्र चेनाराम, रामलाल, रैंवतराम, बिशनाराम, बगताराम व अन्य मिलकर गांव में कुम्भाराम पुत्र लालूराम के जागरण में गये हुए थे जहां खाना खाने में व्यस्त थे तो उन्हें सूचना मिली की सरपंच पार्टी के लोग उन्हें पिटने के लिये बाहर रैकी कर रहे हैं एवं उनको सरपंच पुत्र श्रवणराम व राधाकिशन फोन पर निर्देश दे रहे थे। जिसके थोड़ी देर बाद करीब रात्रि 10.30-11.00 बजे अचानक सोहनराम, दुलाराम, सुखाराम, रामचन्द्र, अमाराम, मोहनराम व रामचन्द्र का पुत्र कुम्भाराम, भैंराराम, गणपतराम, सुखाराम एवं 10-15 अन्य व्यक्ति जागरण स्थल पर अचानक आये और हाथ में हथियार लहराते हुए उसके भाई अशोक का जबरदस्ती अपहरण कर उसको गाड़ी नं.513 बोलेरो में डालकर सोहनराम वगैरा अपनी ढाणी में ले गये। वे लोग उनके पीछे ढाणी में गये तो सभी व्यक्ति उसके भाई को जान से मारने की नियत से मारपीट कर रहे थे और कह रहे थे कि अशोकिया सरपंच की बहुत शिकायतें करता है आज इसको जान से खत्म कर दो। उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की तो 20-25 पत्थरबाजी कर उनको वहां से भगा दिया। उन्होंने पुलिस थाना पांचू को इतिला दी तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर गाड़ी से उसके भाई को अस्पताल पहुंचाया.... आदि-आदि।

2. इस लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 के आधार पर पुलिस थाना, पांचू, बीकानेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 34/2012 पंजीबद्ध की जाकर विधिवत् अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण मोहनराम, रामचन्द्र, जगदीश, सोहनराम, सुखाराम, अमाराम के विरूद्ध धारा 307, 365, 342, 323, 325, 336, 147, 148, 149,

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)
2.4.25
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते

120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप प्रमाणित मानकर अभियोग पत्र न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा जिला बीकानेर में दिनांक 20.06.2012 को पेश किया गया। जहाँ से यह प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर को दिनांक 28.06.2012 को उपार्पित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18.10.2012 को अभियुक्तगण कुम्भाराम, गणपतराम तथा दिनांक 19.11.2012 को अभियुक्त दुलाराम के विरूद्ध धारा 365, 307, 342, 323, 324, 325, 326, 336, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित मानकर अभियोग पत्र न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा जिला बीकानेर में पेश हुए जहां से प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर को उपान्तरित किये गये। तदुपरान्त यह प्रकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 03 में अन्तरित हुआ तथा अंत में यह प्रकरण विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम प्रकरण, बीकानेर से अन्तरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुआ।

3. तत्कालीन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर मुलजिमान मोहनराम, रामचन्द्र, अमाराम, सुखराम, सोहनराम, जगदीश, कुम्भाराम, गणपतराम, दुलाराम के विरूद्ध धारा 120बी, 148, 365/149, 307, 307/149, 336 विकल्प में 336/149, 326 विकल्प में 326/149, 325 विकल्प में 325/149, 324 विकल्प में 324/149, 323 विकल्प में 323/149, 342 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित किये जाकर सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पीडब्ल्यू-1 भागीरथ, पीडब्ल्यू-2 राधेश्याम, पीडब्ल्यू-3 तेजाराम, पीडब्ल्यू-4 अशोक कुमार, पीडब्ल्यू-5 रेंवतराम, पीडब्ल्यू-6 अजय कुमार, पीडब्ल्यू-7 रामकरण, पीडब्ल्यू-8 बाबूलाल, पीडब्ल्यू-9 नत्थाराम, पीडब्ल्यू-10 किशनाराम, पीडब्ल्यू-11 बगताराम, पीडब्ल्यू-12 रामलाल, पीडब्ल्यू-13 डॉ० तिलकराज खत्री, पीडब्ल्यू-14 खींयाराम, पीडब्ल्यू-15 सुनील चारण, पीडब्ल्यू-16 पी.डी.शर्मा, पीडब्ल्यू-17 लक्ष्मण सिंह, पीडब्ल्यू-18 पेमाराम, पीडब्ल्यू-19 खेताराम, पीडब्ल्यू-20 मोहनराम, पीडब्ल्यू-21 हड़मान, पीडब्ल्यू-22 सुखाराम, पीडब्ल्यू-23 शेराराम, पीडब्ल्यू-23 राजेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू-24 मिलन कुमार जोईया, पीडब्ल्यू-25 जयनारायण मीणा, पीडब्ल्यू-26

प्रमाणित प्रतिलिपि
2.4.25
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

मेघाराम, पीडब्ल्यू-26 दिलीप सिंह (सहबन से पीडब्ल्यू-26 दो बार अंकित हो गया), पीडब्ल्यू-27 लूणाराम को परीक्षित करवाया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में फर्द बरामदगी लाठी प्रदर्श पी-1, 2, नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी-3, फर्द गिरफतारी मुलजिम रामचन्द्र प्रदर्श पी-3, फर्द जब्ती लाठी प्रदर्श पी-4, बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-5, फर्द बरामदगी बर्छी मुलजिम कुम्भाराम प्रदर्श पी-6, नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी-7, फर्द बरामदगी लाठी बांस मुलजिम गणपतराम प्रदर्श पी-8, नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी-9, फर्द दस्तयाबी मजरूब अशोक प्रदर्श पी-10, मुकदमा दर्ज करवाने की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-11, चाक एफआईआर प्रदर्श पी-12, नक्शा मौका प्रदर्श पी-13, नक्शा मौका घटनास्थल सोहनराम की ढाणी प्रदर्श पी-14, खून आलूदा मिटटी की फर्द जब्ती प्रदर्श पी-15, सादा मिटटी की फर्द जब्ती प्रदर्श पी-16, फर्द जब्ती पेंट व शर्ट प्रदर्श पी-17 फर्द जब्ती लाठी मुलजिम मोहनराम फर्द प्रदर्श पी-18, नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी-19, फर्द बरामदगी कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-20, फर्द जब्ती गाड़ी प्रदर्श पी-21, फर्द बरामदगी सरिया प्रदर्श पी-22, नक्शा मौका बरामदगीस्थल कुल्हाड़ी, बोलेरो गाड़ी व सरिया प्रदर्श पी-23, रसीद एफएसएल प्रदर्श पी-24, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-25, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-26 लगायत प्रदर्श पी-31, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-32, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम मोहनराम प्रदर्श पी-32, फर्द गिरफतारी मुलजिम सुखाराम व उमाराम क्रमशः प्रदर्श पी-33 व 34, इत्तिला अभियुक्तगण सुखाराम व उमाराम क्रमशः प्रदर्श पी-35 व 36, मुलजिम राधाकिशन, श्रवणराम व दुलाराम के मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल की समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-37, फर्द गिरफतारी मुलजिम कुम्भाराम प्रदर्श पी-38, फर्द गिरफतारी मुलजिम गणपतराम प्रदर्श पी-39, फर्द इत्तिला एक बर्छी मुलजिम कुम्भाराम प्रदर्श पी-40, फर्द इत्तिला एक लाठी मुलजिम गणपतराम प्रदर्श पी-41, फर्द गिरफतारी मुलजिम सोहनराम प्रदर्श पी-42, फर्द गिरफतारी मुलजिम जगदीश प्रदर्श पी-43, फर्द इत्तिला द्वारा मुलजिम सोहनराम प्रदर्श पी-44, फर्द इत्तिला एक बोलेरो गाड़ी प्रदर्श पी-45, फर्द इत्तिला एक लोहे का पाईप मुलजिम जगदीश प्रदर्श पी-46, चिटचेपा प्रदर्श पी-47 व कार्बन प्रति प्रदर्श पी-47ए, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-48 व 49 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-48ए व 49ए, सील्डशुदा पैकेट मार्क-ए खून आलूदा मिटटी की चिटचेपा प्रदर्श पी-50 व सादा मिटटी पैकेट

2-4-25

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मार्क-बी प्रदर्श पी-51, मार्क सी पैकेट में एक पेंट व शर्ट निकले जिस पर लगी चिटचेपा प्रदर्श पी-52, सील्डशुदा पैकेट मार्क-डी पर लगी चिटचेपा प्रदर्श पी-53, सील्डशुदा पैकेट मार्क-ई पर लगी चिटचेपा प्रदर्श पी-54, सील्डशुदा पैकेट मार्क-एफ पर लगी चिटचेपा प्रदर्श पी-55, सील्डशुदा पैकेट मार्क-जी पर लगी चिटचेपा प्रदर्श पी-56, सील्डशुदा पैकेट मार्क-एच पर लगी चिटचेपा प्रदर्श पी-57, सील्डशुदा पैकेट मार्क-आई पर लगी चिटचेपा प्रदर्श पी-58, मुलजिम रामचन्द्र द्वारा दी गई स्वेच्छिक इत्तिला की घटना में प्रयुक्त एक लाठी प्रदर्श पी-59, मुलजिम मोहनराम की धारा 27 की इत्तिला प्रदर्श पी-60, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श सी-1, एक टूटी बर्छी आर्टिकल-1, पेन्ट आर्टिकल-2, शर्ट आर्टिकल-3, लाठी आर्टिकल-4, 5, 6, 7, कुल्हाड़ी आर्टिकल-8 व लोहे का पाईप आर्टिकल-9 प्रदर्शित करवाए गए।

5. अभियुक्तगण के अभिकथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता पृथक से लेखबद्ध किये जाने पर अभियुक्तगण ने चुनावी रंजिशवश गवाहान द्वारा झूठ कहना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा परन्तु बावजूद अवसर कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं हुई। दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस बयान अशोक कुमार प्रदर्श डी-1, पुलिस बयान रेंवतराम प्रदर्श डी-2, पुलिस बयान अजय कुमार प्रदर्श डी-3, पुलिस बयान रामकरण प्रदर्श डी-4, पुलिस बयान किशनाराम प्रदर्श डी-5, पुलिस बयान बगताराम प्रदर्श डी-6, पुलिस बयान रामलाल प्रदर्श डी-7 प्रदर्शित करवाए गए।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण के निर्णयार्थ निम्नांकित अवधारणार्थ बिन्दु अभिनिधार्रित किया जाता हैः-

1.क्या दिनांक 29.03.2012 को रात्रि 10.30 बजे अथवा इससे पूर्व किसी समय आहत अशोक की हत्या कारित करने के प्रयत्न करने का आपराधिक षडयंत्र कर लाठी, कुल्हाड़ी, लोहे के पाईप जैसे घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर हिंसा व बल का प्रयोग कर बल्वा कारित करते हुए परिवादी के भाई अशोक को सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में कुम्भाराम के मकान में स्थित बाखल ग्राम साधुना को बलपूर्वक अपहरण कर गुप्तरीति से निश्चित दिशा में जाने से सदोष परिरोध कर सोहनराम की ढाणी ग्राम साधुणा में आहत अशोक

सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)
प्रमाणित प्रतिलिपि
2.4.25
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

के साथ स्वेच्छया मारपीट कर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से गम्भीर प्रकृति की उपहतियां, कुंद हथियार से अस्थिभंग कर गम्भीर उपहतियां, धारदार एवं कुंद हथियार से साधारण उपहतियां कारित की तथा आहत अशोक के शरीर के विभिन्न स्थानों पर गम्भीर चोटें यह जानते हुए तथा इस आशय व ज्ञान सहित कारित की कि यदि उक्त चोटों से उक्त आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते?

8. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराधों को सन्देह से परे साबित किया हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित पीड़ित अशोक व परिवादी अजय कुमार व अन्य चश्मदीद साक्षीगण ने घटना की हूबहू ताईद की है। अभियोजन साक्षीगण ने साबित किया है कि अभियुक्तगण ने पीड़ित अशोक का अपहरण किया और उसे सोहनराम की ढाणी में बंधक बनाकर धारदार व भौंत्रे हथियारों से उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर साधारण व गम्भीर उपहतियां कारित की तथा चिकित्सकीय साक्षी ने स्पष्ट कथन किया कि चोटों का सम्मिलित परिणाम प्राणघातक प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के आरोपों में दोषसिद्ध किया जावे।

9. जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा गुप्तरीति से अपहरण या व्यपहरण किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण से जो लाठियां, कुल्हाड़ी, लोहे का पाईप बरामद बताये गये हैं उन पर एफएसएल रिपोर्ट में मानव रक्त नहीं पाया गया है तथा इस संबंध में पुलिस गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान ऐसे तथ्य बताते हैं जो विश्वसनीयता के परे है। जिनकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से नहीं होती। स्वयं चिकित्सकीय साक्षी ने भी अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-25 के विरूद्ध बयान न्यायालय के समक्ष दिये जिसका कोई आधार भी नहीं होना चिकित्सक पीडब्ल्यू-13 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया। अपने पक्ष के समर्थन में निम्न सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय पेश किये:-

2025 SCC Online SC 278

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि जहां मामला पूर्णतया

प्रमाणित प्रतिलिपि
2.4.25
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो और गवाहों की साक्ष्य विरोधाभासी हो तो दोषमुक्ति उचित है।

2020 SCC Online SC 776

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां घटना की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हो वहां अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

2024 INSC 320

इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हैतुक दो धार वाला हथियार है तथा किसी घटना में हैतुक के साबित होने व न होने का तात्विक प्रभाव अभियोजन कहानी पर दर्शित होता है।

अतः ऐसी परिस्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

10. **<u>विचारणीय बिन्दुः-</u>**

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन् किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के अभिनिर्धारण हेतु अभिलेख पर आई अभियोजन साक्ष्य का विवेचन व न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार हैंः-

11. प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी एवं आहत पीडब्ल्यू-4 अशोक कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 02.01.2012 को उसने साधुणा ग्राम में मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिये एसडीएम नोखा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया था जिसमें उसका भाई अजय व गांव के अन्य लोग साथ थे। इस कारण सरपंच ग्रुप वाले आदमी उनसे रंजिश रखने लगे। दिनांक 29.03.2012 को कुम्भाराम पुत्र मालूराम के घर जागरण था जिसमें साक्षी, उसका भाई अजय कुमार, रेंवतराम, रामकरण पुत्र मुखराम, रामकरण पुत्र चेतनराम, बख्ताराम, रामलाल, बिशनाराम जागरण में गये हुए थे, वहां जाकर खाना खाने में व्यस्त थे तो बाहर से सूचना मिली कि सरपंच ग्रुप वाले बाहर रेकी कर रहे हैं। फिर साक्षी व अन्य खाना खाकर बाहर बैठकर जूते पहन रहे थे, उस वक्त बोलेरो गाड़ी नं.513 आकर खड़ी हुई जिस समय रात के 10.30 बजे थे। उस गाड़ी में से रामरतन जिसके हाथ में लाठी थी, दुलाराम के

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट * नोखा (बीकानेर) *
सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)
2.4.25

हाथ में रॉड थी, सुखाराम पुत्र चेतनराम के हाथ में लाठी थी, मोहन के हाथ में लाठी थी, अमाराम के हाथ में लाठी थी, सोहनराम के हाथ में कुल्हाड़ी थी, कुम्भाराम के हाथ में बर्छी थी, जगदीश के हाथ में लोहे का पाईप था, गणपतराम के हाथ में लाठी थी, सुखाराम पुत्र मालूराम के हाथ में लाठी थी और पांच दस अन्य लोग थे जो हथियार लहराते हुए साक्षी के पास आये और उसे पकड़ लिया। किसी ने बीच बचाव किया तो उसके साथ धक्कामुक्की की और बोलेरो गाड़ी में बैठाकर सोहनराम की ढाणी ले गये। सभी लोग गाड़ी में थे। कुछ बाहर थे और कुछ लटके हुए थे वहां ले जाने के बाद जान से मारने की नियत से जबरदस्ती बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और उस समय सोहनराम व दुलाराम दोनों फोन पर तुलसी देवी सरपंच के पुत्र श्रवण व देवर राधाकिशन से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि इस बार ट्रीटमेन्ट कर दिया है। यहां न्यायालय के विनम्र मत में इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन किया कि जब वह खाना खा रहे थे तब उन्हें सूचना हो गई थी कि सरपंच पक्ष वाले व्यक्ति बाहर रेकी कर रहे हैं और जब साक्षी ने यह भी कथन किया कि जब उसे उठाकर बोलेरो गाड़ी में बैठाया तब उसके साथ भी बहुत सारे व्यक्ति मौजूद थे। जिन्होंने बीच बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ धक्कामुक्की की। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों से ही स्पष्ट है कि साक्षी का गुप्त रीति से अपहरण नहीं किया बल्कि सबके सामने उसे बोलेरो गाड़ी में बैठाया।

12. आगे साक्षी ने कथन किया कि उसके भाई अजय कुमार, रेंवतराम, बख्ताराम, रामकरण पुत्र चुन्नीराम, रामकरण पुत्र मुखराम, बिशनाराम, रामलाल, मोहन राम उसे छुड़वाने के लिये आये तो उन लोगों ने उन पर पत्थर फेंके और भगा दिया फिर वे बाहर झाड़ियों में जाकर बैठ गये। साक्षी के भाई अजय ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौका पर आई। जब उसके पैर व शरीर फ्रेक्चर हो गये थे। दोनों पैरों के घुटनों पर फ्रेक्चर था, दाहिने पांव की नली तीन जगह से फ्रेक्चर थी जो चोटें सोहनराम, कुम्भाराम, दुलाराम, सुखराम पुत्र चेतनराम, गणपतराम, जगदीश, अमाराम, मोहनराम, सुखाराम, मालूराम व रामरतन ने कारित की फिर उसे नोखा अस्पताल लाये जहां से पीबीएम अस्पताल बीकानेर ले गये। बाद में उसका ईलाज अहमदाबाद में हुआ। चोटें लगने से वह वजन नहीं उठा सकता और तेज चल भी नहीं सकता। ऐसे में इस साक्षी ने अपने शरीर के विभिन्न भागों पर अस्थिभंग होना बताया। इस संबंध में

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
2.4.25
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)

चिकित्सकीय साक्षी पीडब्ल्यू-13 डॉक्टर तिलकराज की साक्ष्य का अवलोकन करें तो इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 30.03.2012 को उसने पुलिस थाना पांचू के प्रतिवेदन पर मजरूब अशोक के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रपत्र तैयार किया था जिसके शरीर पर कुल नौ चोटें पाई गई जिसमें चोट संख्या 01 लगायत 03 कटा हुआ घाव अस्थि की गहराई तक दायीं टांग, दायें पैर व दायीं जांघ पर बताया गया है। चोट संख्या 04, 06 व 08 कुचले हुए घाव बताये गये हैं और चोट संख्या 05, 07 व 09 कटे हुए घाव बताये गये। साक्षी ने चोट संख्या 01, 03, 05, 06, 07 व 09 गम्भीर प्रकृति की बताई और संयुक्त रूप से प्राणघातक बताई। चोट संख्या 02 व 04 साधारण प्रकृति की बताई लेकिन जब इस चिकित्सकीय साक्षी को प्रतिपरीक्षण की कसौटी पर कसा गया तो साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-25 जो चोट प्रतिवेदन है, उसमें आहत के आवश्यक डाटा अर्थात् रक्तचाप, हार्टबिट, नाड़ी की गति आदि नहीं लिखे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि आहत गम्भीर होता तो यह परीक्षण डाटा लिखना आवश्यक होता। साक्षी की इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि परीक्षण के समय मजरूब गम्भीर अवस्था में नहीं था।

13. चिकित्सकीय साक्षी पीडब्ल्यू-13 ने आगे प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि आहत के वाईटल पार्ट अर्थात् नाजुक अंगों पर कोई चोट नहीं थी। यह भी स्वीकार किया कि आहत के शरीर पर कोई लिगेचर मार्क भी नहीं था। यह भी स्वीकार किया कि आहत के शरीर पर रस्सी बांधने की कोई साक्ष्य नहीं थी। साक्षी ने चोटों की अवधि का निर्धारण चोटों के रंग के आधार पर करना बताया लेकिन इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-25 में चोटों का रंग नहीं लिखा। ऐसे में प्रदर्श पी-25 में जो चोटों की अवधि लिखी हुई है, उसको संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता क्योंकि जिस चिकित्सक ने चोटों की अवधि लिखी है, उसका यह तर्क है कि उसने चोटों के रंग के आधार पर चोटों की अवधि लिखी लेकिन चोट प्रतिवेदन में मजरूब के आई चोटों का रंग परीक्षण के समय क्या था यह वर्णित नहीं है।

14. आगे जब इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि प्रदर्श पी-25 को देखकर कोई विशेषज्ञ यह नहीं बता सकता कि चोटों की अवधि का निर्धारण सही किया गया है या नहीं जिसका साक्षी ने उत्तर दिया कि उसे यह पता नहीं कि प्रदर्श पी-25 को देखकर विशेषज्ञ

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
2.4.25
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

नहीं बता सकता हो कि चोटों की अवधि का निर्धारण सही किया गया है या गलत। ऐसे में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-25 में वर्णित चोटों की अवधि संदिग्ध है।

15. आगे इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत के शरीर पर नुकीले हथियार की कोई चोट नहीं थी। यह भी स्वीकार किया कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। साक्षी ने एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-26 लगायत 31 किसने तैयार की, की जानकारी नहीं होना बताया। साक्षी ने अस्थिभंग होने के कारण सभी चोटों को प्राणघातक प्रकृति की बताया लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने चोट प्रतिवेदन में चोट संख्या 01 को बोन डीप नहीं लिखा और यह भी स्वीकार किया कि चोट संख्या 03 को भी बोन डीप नहीं लिखा हुआ है जो प्रदर्श पी-25 में नहीं लिखा हुआ है। चोट संख्या 05 में भी बोन डीप नहीं लिखा हुआ है। चोट संख्या 09 में भी बोन डीप नहीं लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साक्षी ने आगे स्वीकार कर लिया कि जो चोटें उसने बोन डीप बताई है, वे बोन तक ही थी लेकिन बोन डीप बताने का उसके पास कोई आधार नहीं है। ऐसे में साक्षी ने प्रदर्श पी-25 में उल्लेखित तथ्यों से इत्तर साक्ष्य दी है एवं प्रदर्श पी-25 इसी साक्षी द्वारा तैयार किया गया जिसमें उसने किसी भी चोट को हडडी की गहराई तक नहीं बताया जबकि मौखिक साक्ष्य में उन चोटों को हडडी की गहराई तक बताया और प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी-25 में हडडी की गहराई तक चोटें आना नहीं लिखा साथ ही साक्षी रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के लिये यह आवश्यक था कि वह एक्सरे प्लेट व एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर यह साबित करे कि प्रदर्श पी-25 में वर्णित चोटें हडडी की गहराई तक थी क्योंकि जिस चिकित्सक द्वारा मजरूब का चिकित्सकीय मुआयना किया गया, उसने जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-25 मुर्तिब किया उसमें किसी भी चोट को हडडी की गहराई तक नहीं बताया। केवल हडडी तक बताया। ऐसे में अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है कि प्रदर्श पी-25 में वर्णित चोट संख्या 01, 03, 05, 06 व 09 हडडी की गहराई तक थी और इनमें अस्थिभंग था। इसके अलावा भी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने चोट प्रतिवेदन में किसी भी चोट को हडडी की गहराई तक नहीं लिखा।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)
प्रमाणित प्रतिलिपि
2.4.25
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

ऐसे में साक्षी के चोट प्रतिवेदन के अनुसार कोई भी चोट अस्थिभंग की स्थिति में नहीं थी।

16. पीडब्ल्यू-13 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि जो भी चोटें मजरूब के कारित थी, उनका समय पर ईलाज हो तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त मजरूब के जो एक्सरे करवाये गये वह पीडब्ल्यू-13 की उपस्थिति में नहीं करवाये गये और पीडब्ल्यू-13 रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। जबकि उसके द्वारा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-32 जारी की गई। वह अपने आप में संदेहास्पद है क्योंकि प्रदर्श पी-32 जिस साक्षी द्वारा तैयार की गई, उसी के द्वारा मजरूब का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-25 भी तैयार किया गया जिन दोनों में तात्विक भिन्नता है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि उसे अनुसंधान अधिकारी ने हथियार दिखाकर यह नहीं पूछा कि इस प्रकृति के हथियार से प्रदर्श पी-25 में वर्णित चोटें आ सकती है या नहीं। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से साक्षी के मेडिको लीगल कार्य करने को भी प्रश्नगत करने हेतु प्रश्न पूछा गया जिसका साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन न्यायालय ने प्रश्न असंगत होने से अस्वीकार किया था। ऐसे में मजरूब अशोक कुमार का जो चोट प्रतिवेदन पीडब्ल्यू-13 डॉक्टर तिलकराज खत्री द्वारा तैयार किया गया, वह पूर्णतया संदेहास्पद है। **ऐसे में स्वयं मजरूब की साक्ष्य ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।**

17. इस संबंध में मजरूब अशोक कुमार जो पीडब्ल्यू-4 के रूप में परीक्षित हुआ उसके प्रतिपरीक्षण का अवलोकन करें तो साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि कुम्भाराम के घर जागरण में 100-150 आदमी थे। कुम्भाराम के घर में उसके साथ हथियारों से कोई मारपीट नहीं की, थाप मुक्कों से की। उसे सोहनराम की ढाणी ले जाने के 15-20 मिनट बाद उसके भाई वगैरा आये थे। सोहनराम की ढाणी में मुलजिमान अपने-अपने हथियारों से पुलिस के आने तक मारपीट कर रहे थे जो धड़ाधड़ मार रहे थे। मारपीट से वह बेहोश नहीं हुआ था, पुलिस आई तब तक पूरा होश में था। पुलिस 12.30 बजे आई थी इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू-26 दलीप सिंह द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सर्वप्रथम तैयार की गई फर्द दस्तयाबी मजरूब अशोक कुमार प्रदर्श पी-10 का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी-10 जो मजरूब के बताये अनुसार ही 12.35 एएम की है जिसमें यह उल्लेखित है कि मजरूब

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)
2.4.25

बेहोशी की हालत में है, जबकि मजरूब अशोक स्वयं यह कथन करता है कि पुलिस आई तब वह बेहोशी की हालत में नहीं था। पुलिस आई उसकी उसे जानकारी है, जो 12.30 बजे के लगभग आई थी। यही समय प्रदर्श पी-10 में वर्णित है। ऐसे में जहां अनुसंधान अधिकारी मजरूब का बेहोशी की हालत में होना बताता है जबकि मजरूब स्वयं का होशोहवास में होना बताता है।

18. इसके साथ ही मजरूब अशोक कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन किया कि उसे मूंज की जेवड़ी से बांध रखा था। उसके पैर बांध रखे थे और हाथ पीछे बांध दिये। जिस जेवड़ी से उसके कोई रगड़क नहीं आई। चोटों पर जेवड़ी बंधी थी इसलिए जेवड़ी पर खून लग गया और पुलिसवाले ने जेवड़ी खोलकर ही उसे छुड़वाया था। इस संबंध में फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी-10 का अवलोकन करें तो उसमें यह कहीं वर्णित नहीं है कि मजरूब अशोक कुमार को जेवड़ी से बांध रखा हो और चिकित्सकीय साक्षी पीडब्ल्यू-13 डॉक्टर तिलकराज खत्री ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कथन किया कि मजरूब के शरीर पर जेवड़ी से बांधने के कोई निशानात नहीं थे, न ही उसके शरीर पर कोई लिगेचर मार्क था। इससे स्पष्ट है कि मजरूब अशोक कुमार घटना को रंगत देने के लिये बढ़ा चढ़ाकर कथन करता है।

19. घटना के अन्य महत्वपूर्ण साक्षी व परिवादी पीडब्ल्यू-6 अजय कुमार की साक्ष्य का अवलोकन करें तो इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में घायल पीडब्ल्यू-4 अशोक कुमार के अनुरूप ही कथन किये हैं लेकिन इस साक्षी ने भी स्पष्ट कथन किया कि उसके भाई को उन लोगों के बीच में से ही उठाकर गाड़ी में डाला था अर्थात् गुप्त रीति से किसी प्रकार का कोई अपहरण नहीं किया गया और यह भी कथन किया कि जब वह उसके भाई को छुड़वाने के लिये पीछे गया तो उन पर पत्थर फेंके थे फिर उसने पुलिस को फोन किया था। तब पुलिस मौका पर आई और उसके भाई को छुड़वाया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उसने मुख्य परीक्षण में जो तथ्य लिखवाया कि मुलजिमान मारपीट करने के लिये बाहर खड़े हैं, वह गलत है बल्कि मुलजिमान अचानक आये थे ऐसे में इस साक्षी के कथन भी पूर्णतया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में जो कथन किये कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी हो गई कि मुलजिमान बाहर आये हुए हैं। इसी अनुरूप साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन भी किये

2.4.25
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)

लेकिन प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में उल्लेखित तथ्यों से इन्कार किया। इसके अलावा अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कथन किया कि घटना वाली रात अंधेरी थी। घटनास्थल पर लाईट के कोई अलामात नहीं दर्शाये हुए है लेकिन साक्षी के अनुसार वहां लाईट थी। साक्षी ने यह भी कथन किया कि जिस समय अशोक को उठाया वे छुड़वाने के लिये बीच में पड़े तो मुलजिमान ने किसी से भी हथियार से कोई मारपीट नहीं की। आगे साक्षी ने कथन किया कि उसके भाई के पैर खेजड़ी से बांध रखे थे जो डोरी से बांध रखे थे और जब वह पुलिस को लेकर सोहनराम की ढाणी पर पहुंचा तो उन्होंने उसके भाई को खेजड़ी की डोरी से खोलकर अलग किया था जबकि फर्द दस्तयाबी में मजरूब अशोक कुमार को बांधकर रखने का कोई उल्लेख नहीं है। स्वयं मजरूब ने ऐसा कोई कथन अपने मुख्य परीक्षण में नहीं किया कि उसे खेजड़ी से बांधकर मारपीट की हो। साक्षी के चोट प्रतिवेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि उसे बांधा गया हो। ऐसे में उक्त साक्षी भी घटना को रंगत देते हुए कथन करते हुए साक्ष्य देना प्रतीत होता है।

20. मजरूब अशोक कुमार से मारपीट के संबंध में पीडब्ल्यू-6 के अनुसार नक्शा मौका सोहनराम की ढाणी प्रदर्श पी-13 बनाया फिर कहा कि प्रदर्श पी-13 कुम्भाराम की ढाणी का बनाया था। इस संबंध में प्रदर्श पी-13 का अवलोकन करें तो उसमें कुम्भाराम के मकान के अहाते के अन्दर एक्स स्थान दर्शाया हुआ है जहां मजरूब व उसके भाई अजय कुमार के अनुसार बहुत से व्यक्ति मौका पर मौजूद थे ऐसे में किसी प्रकार से यह सम्भव नहीं है कि गुप्तरीति से अपहरण का प्रयास किया हो। तत्पश्चात् प्रदर्श पी-14 घटनास्थल सोहनराम की ढाणी बताया है, जिसमें एक्स स्थान के पास ए स्थान एक खेजड़ी को बताया गया है, इस संबंध में हालात मौका प्रदर्श पी-14ए का अवलोकन करें तो उसमें यह वर्णित है कि मौतबिरान ने यह बताया कि मजरूब को खेजड़ी के पेड़ से बांधकर मारपीट की गई। यहां यह तथ्य अत्यन्त विचारणीय है कि जिस अनुसंधान अधिकारी ने फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी-10 मुर्तिब की उसी अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-14 मुर्तिब किया और जब उसने फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी-10 में मजरूब के बांधे हुए होने का कोई उल्लेख नहीं किया तो प्रदर्श पी-14 में बांधकर मारपीट करना यदि मौतबिरान ने बताया है तो भी उसे अनुसंधान के अनुसार वास्तविक तथ्य लिखना था जो प्रदर्श पी-10 के अनुरूप ही होना चाहिए

प्रमाणित प्रतिलिपि
2.4.25
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)

था। ऐसे में प्रतीत होता है कि अनुसंधान भी हस्तगत मामले में गहनता से नहीं हुआ है।

21. पीडब्ल्यू-6 ने घटनास्थल से खून आलूदा मिटटी प्रदर्श पी-15 के जरिये उठाना बताया व सादा मिटटी प्रदर्श पी-16 के जरिये उठाना बताया और मजरूब अशोक के पहनी हुई पेन्ट व शर्ट प्रदर्श पी-17 के जरिये जब्त करना बताया है। साथ ही मुलजिम मोहनराम से एक लाठी प्रदर्श पी-18 के जरिये बरामद करना बताया। इसी तरह अन्य मुलजिमान से भी बरामदगियां की गई जिनके संबंध में एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श सी-1 का अवलोकन करें तो प्रदर्श सी-1 में मुलजिमान से जो लाठियां, कुल्हाड़ी व लोहे का पाईप बरामद किये गये, उनमें किसी पर भी मानव रक्त नहीं पाया गया। इसके साथ ही जो रक्त रंजित मिटटी ली उसमें मानव रक्त पाया गया और जो मजरूब के रक्त रंजित पेंट व शर्ट लिये उन पर भी मानव रक्त पाया गया लेकिन वह मानव रक्त इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं था जिससे ब्लड ग्रुप का पता किया जा सके। ऐसे में प्रदर्श सी-1 से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही अल्प मात्रा में मजरूब के कपड़ों पर मानव रक्त पाया गया तथा अभियुक्तगण से जो हथियार बरामद हुए हैं, उन हथियारों पर किसी प्रकार से घटना से संबंधित कोई अलामात नहीं पाये गये। ऐसे में उक्त बरामदगियों के आधार पर अभियुक्तगण को घटना से संबंधित नहीं किया जा सकता।

22. पीडब्ल्यू-7 रामकरण ने भी अपने मुख्य परीक्षण में पीडब्ल्यू-5 अशोक कुमार व पीडब्ल्यू-6 अजय कुमार के अनुरूप ही कथन किये। अपने मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि सोहनराम द्वारा उसके भतीजे के अपहरण का मुकदमा जो साक्षी के विरूद्ध किया था, उसके कोई कागजात वह साथ नहीं लाया है, न ही पांचू थाना में दिये थे। साक्षी ने यह कथन किया कि गांव में दो पार्टी है, एक पार्टी में वह है तथा दूसरी पार्टी में सोहनलाल वगैरा है। साक्षी ने यह भी कथन किया कि जहां वे लोग खाना खा रहे थे वहां 100-150 आदमी थे। वहां लाईट नहीं गई थी। साक्षी ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी-4 के सी से डी हिस्सा में लिखी बात लाईट चली गई थी, को गलत बताया, इससे भी स्पष्ट है कि मजरूब अशोक कुमार को गुप्तरीति से अपहरण या व्यपहरण नहीं किया गया। साक्षी ने आगे कथन किया कि जब वह सोहनलाल की ढाणी पहुंचा, उस समय चार ही व्यक्ति मारपीट कर रहे थे जो कुम्भाराम, दुलाराम, सोहन व जगदीश ही मारपीट कर रहे थे। साक्षी 50-60 पावण्डा

2.4.25

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

दूर खड़ा देख रहा था जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। आगे साक्षी ने कथन किया कि वह अशोक को छुड़वाने सोहन की ढाणी में गया ही नहीं,पुलिस ही गई थी। वह तो ढाणी में ही नहीं गया। पुलिस जब ढाणी से छुड़वाकर लाई तब उसने अशोक को देखा था। अशोक के पैरों में रस्सी के निशानात नहीं देखे। इस साक्षी ने अशोक के पैरों पर रस्सी बांधने के कोई निशान नहीं देखना बताया और यह भी कथन किया कि वह तो ढाणी के अन्दर गया ही नहीं था। पुलिस ही गई थी। जब ढाणी से अशोक को बाहर लाये तभी उसने अशोक को देखा था और पार्टीबाजी के तथ्य को भी स्वीकार करता है और केवल चार व्यक्तियों द्वारा ही मारपीट करना बताता है।

23. इसी तरह पीडब्ल्यू-10 किशनाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी के अनुरूप ही कथन किये और अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि रात चांदनी थी,अंधेरी नहीं थी। यह भी स्वीकार किया कि उसने अशोक के साथ मुलजिमान को मारपीट करते हुए नहीं देखा। मुलजिमान ने कौनसे हथियार से मारपीट की उसने नहीं देखा। अर्थात् उक्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी है जिसने घटना को नहीं देखा।

24. पीडब्ल्यू-11 बख्ताराम भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी के अनुरूप ही कथन करता है लेकिन अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि घटना वाली रात चांदनी थी जबकि अन्य कुछ गवाहान घटना वाली रात अंधेरी होना बताते हैं। साक्षी ने यह भी कथन किया कि मुलजिमान के हाथ में उसने कोई हथियार नहीं देखा। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मौका पर किसी भी मुलजिम ने अशोक के हथियार से कोई चोट नहीं पहुंचाई। साक्षी ने यह भी कथन किया कि वह जहां खड़ा था, वहां अंधेरा था। मुलजिमान की तरफ रोशनी थी। यह तथ्य भी स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता कि चांदनी रात में एक तरफ अंधेरा हो और दूसरी तरफ रोशनी रहे। साक्षी ने यह भी कथन किया कि अशोक के हाथ खुले हुए थे और पांव बंधे हुए थे जो प्लास्टिक की काली रस्सी से बंधे हुए थे जबकि अन्य गवाहान हाथ व पांव दोनों बंधे हुए होने का कथन करते हैं लेकिन हाथ व पांव की रस्सी को बांधने के लिगेचर मार्क मजरूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-25 में नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि जो खटपट चल रही थी उसमें वह शामिल था लेकिन मुलजिमान ने उसके साथ मारपीट नहीं की। ऐसे में उक्त साक्षी भी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बयान दे रहा है।

2.4.25

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते

25. पीडब्ल्यू-12 रामलाल भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी के अनुरूप ही कथन करता है और यह कथन करता है कि अशोक के पैर बंधे हुए थे। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि रात अंधेरी थी फिर कहता है कि रात चांदनी थी और चांद सिर पर था। आगे स्वीकार करता है कि दोनों हाथ खेजड़ी के पीछे बंधे हुए थे और पैर नीचे से बंधे हुए थे। साक्षी ने अपने पुलिस बयान घटना के एक माह बाद होना बताया जिस एक माह तक गांव में ही होना बताया। ऐसे में साक्षी के बयान अत्यधिक विलम्ब से लिये गये, जिस विलम्ब का कोई कारण नहीं है। ऐसे में साक्षी के बयान संदेहास्पद है।

26. प्रकरण में जो अन्य गवाह पीडब्ल्यू-1 भागीरथ, पीडब्ल्यू-2 राधेश्याम, पीडब्ल्यू-3 तेजाराम, पीडब्ल्यू-5 रेवतराम, पीडब्ल्यू-8 बाबूलाल, पीडब्ल्यू-14 खींयाराम अभियुक्तगण से हुई बरामदगियों से संबंधित हैं लेकिन अभियुक्तगण से जो बरामदगियां की गई उन बरामद हथियारों पर घटना से संबंधित कोई अलामात नहीं पाये गये, न ही एफएसएल रिपोर्ट से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य आई। ऐसे में इन साक्षीगण की साक्ष्य का विवेचन आवश्यक नहीं है।

27. अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू-15 सुनील चारण मुलजिमान सुखाराम व उमाराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी-33 व 34 के गिरफतार करना बताता है। न्यायालय के विनम्र मत में साक्षी ने अभियुक्त अमाराम का नाम उमाराम बताया है जो टंकण त्रुटि भी हो सकती है। आगे साक्षी ने अभियुक्तगण की इत्तिला के आधार पर हथियार बरामद करना भी बताया है। इसके अलावा इस साक्षी ने कोई अनुसंधान नहीं किया।

28. अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू-16 पी.डी.शर्मा सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् प्रकरण में सभी अभियुक्तगण की गिरफतारियां एवं उनसे बरामदगी की साक्ष्य देता है। साथ ही प्रकरण में सील्डशुदा पैकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना बताता है। उक्त साक्षी की साक्ष्य के समय प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत पेश हुआ जिनमें एक वजह सबूत एक सफेद कपड़े की थैली जो नीचे से फटी हुई थी, जिस जगह से आसानी से थैली के अन्दर रखा सामान निकाला भी जा सकता है और वापिस अन्दर भी रख जा सकता है, जिसके अन्दर एक टूटी हुई बर्छी मिली जो आर्टिकल-1 है जिस आर्टिकल-1 के संबंध में अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि न्यायालय में पेश आर्टिकल-1 टूटी हुई बर्छी उसने बरामद नहीं की थी।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
2.4.25
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

अर्थात् जो मालखाना न्यायालय में पेश हुआ, उस आर्टिकल 1 बर्छी को जिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामद करना बताया उसने बरामद करने से इन्कार किया। इससे आर्टिकल-1 घटना से संबंधित नहीं रह जाता है।

29. साक्षी ने पेंट व शर्ट आर्टिकल-2 व 3 को भी प्रदर्शित करवाया। इसी तरह अन्य आर्टिकल लाठी, कुल्हाड़ी व लोहे का पाईप भी प्रदर्शित करवाये। अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि उसने मुलजिमान की कोई लोकेशन नहीं निकलवाई। कुल्हाड़ी उसने किससे बरामद की उसे याद नहीं। स्वयं कहा कि जगदीश के खेत से बरामद की। सबसे महत्वपूर्ण साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने न्यायालय में पेश लाठियां बरामद ही नहीं की थी। यह भी स्वीकार किया कि उसने लोहे का पाईप बरामद किया था जबकि हस्तगत मामले में जितनी भी लाठियां पेश की गई है उन लाठियों को साक्षी ने बरामद नहीं करना बताया। ऐसे में उक्त लाठियां भी अभियुक्तगण को घटना से संबंधित नहीं करती है।

30. प्रकरण में अन्य गवाह पीडब्ल्यू-17 लक्ष्मणराम, पीडब्ल्यू-18 पेमाराम, पीडब्ल्यू-19 खेताराम, पीडब्ल्यू-20 मोहनराम, पीडब्ल्यू-22 सुखाराम, पीडब्ल्यू-23 शेराराम ने अभियुक्तगण के विरूद्ध एक भी कथन नहीं किया।

31. पीडब्ल्यू-23 राजेन्द्र कुमार ने अनुसंधान का सत्यापन किया। पीडब्ल्यू-24 मिलन कुमार जोईया ने अनुसंधान का सत्यापन किया। पीडब्ल्यू-25 जयनारायण मीणा ने भी अनुसंधान का सत्यापन किया और कोई नई बात अपने अनुसंधान में सत्यापन के दौरान नहीं आना बताया।

32. पीडब्ल्यू-27 लूणाराम मालखाना प्रभारी होकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसे सुपुर्द की गई सामग्री को मालखाना में दर्ज करना बताता है। प्रथम अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू-26 दलीप सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि वह मौका पर गया था। अशोक कुमार के पैरों पर चोट लगी हुई थी। इस साक्षी ने अन्य जगह चोटें लगी होने का कथन नहीं किया। साक्षी ने कथन किया कि उसे याद नहीं कि पीड़ित के धारदार हथियार की कोई चोट आई हो जबकि उक्त अनुसंधान अधिकारी सर्वप्रथम मौका पर पहुंचा था और मजरूब को घायल अवस्था में देखकर फर्द दस्तयाबी मजरूब प्रदर्श पी-10 मुर्तिब की थी लेकिन इस साक्षी का यह कहना कि मजरूब के तेज हथियार की कोई चोट होने की कोई

2.4.25

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

जानकारी नहीं है। इससे मजरूब के आई चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-25 को संदेह से परे साबित नहीं मान सकते।

33. पत्रावली पर आई सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष केवल इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 29.03.2012 को रात 10.30-11.00 बजे आहत अशोक को बलपूर्वक अभियुक्तगण कुम्भाराम के घर से उठाकर ले गये और सोहनराम की ढाणी में ले जाकर उसके साथ मारपीट की जो धारदार व भौंटे हथियार से मारपीट की और साधारण चोटें पहुंचाई, साथ ही सोहनराम की ढाणी में आहत अशोक को सदोष परिरोध किया व छुड़वाने के लिये आये साक्षीगण पर पत्थर फेंककर मानवजीवन संकटापित किया।

34. जहां तक अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने षड़यंत्रपूर्वक विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर अपने सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में आहत अशोक का गुप्तरीति से व सदोष परिरोध करने के लिये अपहरण किया और इस आशय व ज्ञान से आहत के चोटें कारित की कि यदि उन चोटों से आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते। साथ ही यह तथ्य कि अभियुक्तगण ने धारदार हथियार से आहत के गम्भीर प्रकृति की उपहति कारित की व भौंटे हथियार से गम्भीर प्रकृति की उपहतियां कारित की। उक्त आरोप संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है क्योंकि जहां तक आहत के कुंद व धारदार हथियार से गम्भीर उपहतियां कारित करने का प्रश्न था। हस्तगत मामले में जो धारदार हथियार बर्छी, कुल्हाड़ी अभियोजन पक्ष की ओर से जब्त किये गये, उन हथियारों को न्यायालय में जब पेश किया गया तो जब्ती अधिकारी ने उन हथियारों की जब्ती से इन्कार किया। इसके अतिरिक्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श सी-1 में उन हथियारों पर किसी प्रकार का कोई मानव रक्त या अन्य किसी प्रकार का रक्त नहीं पाया गया तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-25 में चोटें बोन डीप अर्थात् हडडी की गहराई तक होना वर्णित नहीं है। जिस तथ्य को चिकित्सकीय साक्षी पीडब्ल्यू-13 डॉक्टर तिलकराज खत्री ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया। पत्रावली पर जो एक्सरे रिपोर्ट है, वह एक्सरे रिपोर्ट किसकी मौजूदगी में निकलवाई गई ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट का हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए परीक्षित होना आवश्यक होते हुए भी अभियोजन पक्ष ने रेडियोलॉजिस्ट को साक्षी नहीं रखा व न ही परीक्षित करवाया। साथ ही पीडब्ल्यू-13 डॉक्टर

2.4.25

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

तिलकराज खत्री ने अपने प्रतिपरीक्षण में माना कि मजरूब के नाजुक अंगों पर कोई चोट नहीं है एवं जो चोटें उसने गम्भीर प्रकृति की बताई उन चोटों की प्रकृति गम्भीर होने का उल्लेख प्रदर्श पी-25 में नहीं किया। ऐसे में यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है कि अभियुक्तगण ने ऐसे आशय व ज्ञान से मजरूब के गम्भीर चोटें कारित की जिनसे यदि मजरूब की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते। साथ ही यह तथ्य भी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि गुप्तरीति से अभियुक्तगण द्वारा अपहरण या व्यपहरण नहीं किया गया था।

35. ऐसे में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 120 बी, 307, 365, 148, 325, 326 भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 29.03.2012 को रात 10.30-11.00 बजे के लगभग अभियुक्तगण ने मजरूब अशोक को कुम्भाराम की ढाणी से बलपूर्वक ले जाकर सोहनराम की ढाणी के बाहर खेजड़ी के पेड़ के पास सदोष परिरोध किया और उसके साथ कुंद व धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की व बचाव करने आये लोगों पर पत्थर फेंककर मानवजीवन संकटापित किया। ऐसे में अभियुक्तगण धारा 342, 323, 324, 336 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

-आदेश-

36. परिणामतः अभियुक्तगण (1) **मोहनराम** पुत्र चेतनराम, (2) **रामचन्द्र** पुत्र चेतनराम, (3) **अमाराम** पुत्र चेतनराम, (4) **सुखराम** पुत्र चेतनराम, (5) **सोहनराम** पुत्र चेतनराम, (6) **जगदीश** पुत्र रामचन्द्र, (7) **कुम्भाराम** पुत्र स्व.भैंराराम, (8) **गणपतराम** पुत्र पूर्णाराम एवं (9) **दुलाराम** पुत्र चेतनराम निवासीगण साधुणा, तहसील नोखा जिला बीकानेर को धारा 120 बी, 307, 365, 148, 325, 326 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त एवं धारा 342, 323, 324, 336 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

2.4.25

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

37. अभियुक्तगण के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

2.4.25

(मुकेश कुमार-प्रथम)

-दण्डादेश-

38. दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्को का खण्डन करते हुए अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

39. उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का रिकार्ड अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्तगण सन् 2012 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अभियुक्तगण को धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना व उन पर अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना उचित है।

40. अतः अभियुक्तगण (1) **मोहनराम** पुत्र चेतनराम, (2) **रामचन्द्र** पुत्र चेतनराम, (3) **अमाराम** पुत्र चेतनराम, (4) **सुखराम** पुत्र चेतनराम, (5) **सोहनराम** पुत्र चेतनराम, (6) **जगदीश** पुत्र रामचन्द्र, (7) **कुम्भाराम** पुत्र स्व.भैंराराम, (8) **गणपतराम** पुत्र पूर्णाराम एवं (9) **दुलाराम** पुत्र चेतनराम निवासीगण साधुणा, तहसील नोखा जिला बीकानेर को धारा 342, 323, 324, 336 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध अपराध के आरोप में उन्हें धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिए पांच हजार रूपये का जमानत व इसी राशि का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करा देवे कि वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा समाज में परिशांति एवं सदाचरण बनाये रखेंगे एवं न्यायालय द्वारा तलब करने पर वे दण्ड भुगतने के लिए उपस्थित आयेंगे तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जाये। साथ ही धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक अभियुक्त पर अभियोजन व्यय के रूप में

2.4.25

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)
सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

20,000/-रूपये (कुल एक लाख अस्सी हजार रूपये) अधिरोपित किये जाते हैं।

41. साथ ही अभियुक्तगण को धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ भी प्रदान किया जाता है। साथ ही जिला परिवीक्षा अधिकारी से अभियुक्तगण के आचरण के संबंध में परिवीक्षा अवधि की रिपोर्ट तलब की जावे।

42. अभियुक्तगण को पूर्व में धारा 120बी, 307, 365, 148, 325, 326 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जा चुका है।

43. प्रकरण में जब्तशुदा लाठियां, कुल्हाड़ी व लोहे का पाईप बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार नष्ट किये जावे।

44. अभियोजन व्यय की राशि एक लाख अस्सी हजार रूपये आहत अशोक को बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार अदा की जावे।

45. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन यदि पूर्व में सुपुर्दगी पर दिया हुआ है तो सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार स्वतः निरस्त समझे जावें अन्यथा वाहन बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार रजिस्टर्ड स्वामी को सुपुर्द कर दिया जावे।

2.4.25

(मुकेश कुमार-प्रथम)

46. निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया

2.4.25

(मुकेश कुमार-प्रथम)

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)